

कृषारोपण स्थल के अक्षांश एवं देशान्तर		कार्य का विवरण	इकाई	कृषारोपण स्थल के अन्त का अक्षांश एवं देशान्तर					
क्र.सं.	आइटम नं.			भौतिक लक्ष्य	मानव दिवस	ईकाई दर		प्राक्कलित राशि	
						मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री
अग्रिम समापन सह प्रथम वर्ष सम्पौषण कार्य (वित्तीय वर्ष 2018-19)									
									कुल
1	20.0.1	5' x 20" (जमीन के उपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण समग्री एवं मजदूरी सहित।	प्रति गैबियन	50		0.00	2294.00	0.00	114700.00
2	20.0.2	मृदा कार्य 45 cm x 45 cm x 45 cm कड़ी मृदा (मिट्टी कोड़नी।)	प्रति पौधा	50	0.0879	22.33	0.00	1116.33	0.00
3	20.0.3	लौह गैबियन का कृषारोपण स्थल तक ढुलाई कर पी0सी0सी0 द्वारा जमीन में स्थापित करना	प्रति पौधा	50		353.00	0.00	17650.00	0.00
4	20.0.4	पौधारोपण (10 ग्राम डी.ए.पी प्रति पौधा एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं बर्मी कम्पोस्ट के मिश्रण के साथ)	प्रति पौधा	50	0.096	24.38	2.50	1219.20	125.00
5	20.0.5	5-6 फीट उँचाई के पौधों का क्रय परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित इत्यादि। (20 प्रतिशत अधिक के साथ)	प्रति पौधा	60		0.00	150.00	0.00	9000.00
6	20.0.6	2 लीटर साईज का मिट्टी का मटका का क्रय, परिवहन एवं स्थापित करने सहित।	प्रति पौधा	50		0.00	0.00	0.00	0.00
7	20.0.7	सूक्ष्म पोषण (Micro Nulicnt)	प्रति पौधा	50		0.00	50.00	0.00	2500.00
8	20.0.8	बर्मी कम्पोस्ट (पीट में मिट्टी के साथ डालने हेतु) का क्रय परिवहन के साथ। प्रति पौधा 5 कि0ग्रा0।	प्रति पौधा	50		0.00	50.00	0.00	2500.00
9	20.0.9	विविध कार्य (साईन बोर्ड एवं छायांकन)	प्रति पौधा			0.00	0.00	0.00	5000.00
10	20.0.10	विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री डीजल का क्रय)	प्रति पौधा	50		0.00	80.00	0.00	4000.00
11	20.0.11	प्रथम वर्ष 500 पौधों के लगातार कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 9 माह (जुलाई से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 254 x 9) = 59436 प्रति 500 पौधा, रासयनिक खाद एवं पटवन सामग्री, ठेला इत्यादि।	प्रति पौधा	500	0.468	118.87	0.00	59436.00	0.00
योग :-									217246.53
द्वितीय वर्ष (प्रथम वर्ष सम्पौषण) वित्तीय वर्ष 2019-20									
20.1.1		500 पौधों के लगातार कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह (जुलाई से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 254 x 12) = 79248 प्रति 500 पौधा, रासयनिक खाद एवं पटवन सामग्री, ठेला इत्यादि।	प्रति पौधा	500	0.624	158.496	0.00	79248.00	0.00
20.1.2		विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल का क्रय)	प्रति पौधा	50		0.00	80.00	0.00	4000.00
20.1.3		मृत पौधों का बदलाव @150/- रु प्रति पौधा का 10 प्रतिशत पौधों का बदलाव 15/रु प्रति पौधा।	प्रति पौधा	50		0.00	15.00	0.00	750.00
योग :-									83998.00
10 प्रतिशत की वृद्धि -									8399.80
योग :-									92397.80

तृतीय वर्ष (द्वितीय वर्ष)										
15	20.2.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 5 मजदूर	प्रति माह	1-150						
16	20.2.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूर	प्रति माह	151-300						
17	20.2.3	301 से 500 पौधा हेतु प्रति माह 15 मजदूर	प्रति माह	301-500						
18	20.2.4	501से अधिक पौधा हेतु प्रति माह 26 मजदूर	प्रति माह	500>					0	
योग ::-										
20 प्रतिशत की वृद्धि -										
योग ::-										
चतुर्थ वर्ष (तृतीय वर्ष सम्पोषण) वित्तीय वर्ष 2021-22										
19	20.3.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह- 5 मजदूर	प्रति माह	1-150		60		15240.00		
20	20.3.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूर	प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	
21	20.3.3	301 से 500 पौधा हेतु प्रति माह 15 मजदूर	प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	
22	20.3.4	501से अधिक पौधा हेतु प्रति माह 26 मजदूर	प्रति माह					0.00	0.00	0.00
23	20.3.5	पैटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गैबियन	500>		-	100	-	5000.00	5000.00
योग ::-										
30 प्रतिशत की वृद्धि -										
योग ::-										
पंचम वर्ष (चतुर्थ वर्ष सम्पोषण) वित्तीय वर्ष 2022-23										
24	20.4.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 5 मजदूर	प्रति माह	1-150		60		15240.00	0.00	15240.00
25	20.4.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूर	प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	0.00
26	20.4.3	301 से 500 पौधा हेतु प्रति माह 15 मजदूर	प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	0.00
27	20.4.4	501से अधिक पौधा हेतु प्रति माह 26 मजदूर	प्रति माह	500>		0		0.00	0.00	0.00
योग ::-										
40 प्रतिशत की वृद्धि -										
योग ::-										
षष्ठम् वर्ष (पंचम वर्ष सम्पोषण) वित्तीय वर्ष 2023-24										
28	20.5.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 5 मजदूर	प्रति माह	1-150		60		15240.00	0.00	15240.00
29	20.5.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूर	प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	0.00
30	20.5.3	301 से 500 पौधा हेतु प्रति माह 15 मजदूर	प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	0.00
31	20.5.4	501से अधिक पौधा हेतु प्रति माह 26 मजदूर	प्रति माह	500>		0		0.00	0.00	0.00
योग ::-										
50 प्रतिशत की वृद्धि -										
योग ::-										
सप्तम वर्ष (षष्ठम् वर्ष सम्पोषण) वित्तीय वर्ष 2024-25										
32	20.6.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 5 मजदूर	प्रति माह	1-150		60		15240.00	0.00	15240.00
33	20.6.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह-10मजदूर	प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	0.00
34	20.6.3	301 से 500 पौधा हेतु प्रति माह-15मजदूर	प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	0.00
35	20.6.4	501से अधिक पौधा हेतु प्रति माह-26मजदूर	प्रति माह	500>		0		0.00	0.00	0.00
36	20.6.5	पैटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गैबियन			-	100		5000.00	5000.00
योग ::-										
60 प्रतिशत की वृद्धि -										
योग ::-										
अष्टम वर्ष (सप्तम वर्ष सम्पोषण) वित्तीय वर्ष 2025-26										
37	20.7.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 5 मजदूर	प्रति माह	1-150		60		15240.00	0.00	15240.00
38	20.7.2	151 से 300 पौधा हेतु प्रति माह 10 मजदूर	प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	0.00
39	20.7.3	301 से 500 पौधा हेतु प्रति माह 15मजदूर	प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	0.00
40	20.7.4	501से अधिक पौधा हेतु प्रति माह 26 मजदूर	प्रति माह	500>		0		0.00	0.00	0.00
योग ::-										
70 प्रतिशत की वृद्धि -										
योग ::-										

समस्तीपुर वन संरक्षण एवं विकाश विभाग वर्ष 2026-27									
प्रति माह	1-150		60		15240.00	0.00	15240.00		
प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	0.00		
प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	0.00		
प्रति माह	500>		0		0.00	0.00	0.00		
योग :-									
80 प्रतिशत की वृद्धि -									
योग :-									
दशम वर्ष (नवम वर्ष सम्प्लोषण) वित्तीय वर्ष 2027-28									
प्रति माह	1-150		60		15240.00	0.00	15240.00		
प्रति माह	151-300		0		0.00	0.00	0.00		
प्रति माह	301-500		0		0.00	0.00	0.00		
प्रति माह	500>		0		0.00	0.00	0.00		
योग :-									
90 प्रतिशत की वृद्धि -									
योग :-									
कुल योग :-									
15240.00									
13716.00									
28956.00									
513120.33									

नोट :- (1) मजदूरी दर वर्तमान स्वीकृत मजदूरी दर 254/- रु. पर पुनरीक्षित है।

(2) सेंसर, जर्बुर, पन्हार, कदम्ब आदि प्रजातियों Soil fixing भी करेंगी। अतः इन प्रजातियों में से ही उपलब्ध प्रजातियों का वनरोपण किया जाएगा।

(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय आदेश संख्या- 03 दिनांक- 01.11.2017 के आलोक में प्रथम वर्ष सम्प्लोषण में 500 से कम पौधों होने पर कम से कम 500 पौधों के वन रोपण का कार्य प्रकलन तैयार किया गया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर।